



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-314/2022

दिनांक- 23-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- बिलरियागंज

शेयर मार्केट के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाला वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 16.09.2022 को वादी मो0 शारिफ पुत्र मो0 हम्माद सा0 छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी सैयद मोहम्मद आकिब पुत्र सिब्गतुल्लाह सा0 छिही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ आदि 12 नफर नामजद व 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी व वादी के रिश्तेदारों व मित्रों से कुल 70 लाख रुपये लेकर शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी की गयी है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 204/2022 धारा 420/406/467/468/471 भा0द0वि0 बनाम (1) शैय्यद मोहम्मद बेलाल पुत्र सिब्गतुल्लाह (2) नेहा पत्नी शैय्यद मोहम्मद बेलाल, आदि 12 नामजद व तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया था। जिसमे नामित अभियुक्त सैयद मोहम्मद आकिब पुत्र सिब्गतुल्लाह सा0 छिही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ की आज दिनांक 23.09.2022 को गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सैयद मोहम्मद आकिब अपनी गाड़ी नं0 यू0पी0 50 सीए 8256 क्रिया कम्पनी की सोनेट गाड़ी से बिलरियागंज बाईपास होते हुए आजमगढ़ की तरफ जा रहा है, उ0नि0 मय हमराहीयान द्वारा नसीरपुर चौराहे पर बाईपास की तरफ से आने वाले वाहनो का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी ही देर में एक लाल रंग की चार पहिया गाड़ी बाईपास की तरफ से आती दिखाई दिया जिसे रोककर पकड़ लिया गया, अपना नाम सैयद मोहम्मद आकिब पुत्र सिब्गतुल्लाह सा0 छिही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को समय करीब 09.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सैयद मोहम्मद आकिब पुत्र सिब्गतुल्लाह सा0 छिही थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 204/2022 धारा 420/406/467/468/471 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- नसीरपुर चौराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार का0 शिवम् शर्मा का0 अरविन्द कुमार का0 आफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.09.2022 को वादिनी (पीड़िता) ने थाना स्थानीय पर शिकायत की विपक्षी रामविनय विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा सा0 मुइयापार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 199/2022 धारा 376/504/506/312 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम (1) रामविनय विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया था। जिसमे नामित अभियुक्त रामविनय विश्वकर्मा की आज दिनांक 23.09.2022 को गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 23.09.2022 को मय फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामविनय विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा सा0 मुइयापार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को नया चौक कस्बा बिलरियागंज पास से समय करीब 09.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

2. रामविनय विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा सा0 मुइयापार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

2. मु0अ0सं0 199/2022 धारा 376/504/506/312 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- नया चौक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

2. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य का0 सतिभान सिंह का0 नितेश कुमार का0 आशीष पटेल म0का0 स्वाती शुक्ला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर

दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

दिनांक 23.09.2022 को छित्तेपुर पेट्रोल टंकी के पास से एक नफर अभि0 कलीम पुत्र स्व0 हेसामुद्दीन निवासी ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 206/2022 धारा 376, 376 (2)N 376 (2) IPC AND SEC. A(1) , 3(4) , 6(1)r/w 5 (i) (ii) (d) of pocso act 2012 पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

- (i) मु0अ0स0 206/2022 धारा 376, 376 (2)N 376 (2) IPC AND SEC. A(1) , 3(4) , 6(1)r/w 5 (i) (ii) (d) of pocso act

गिरफ्तार अभियुक्त-

- (i) कलीम पुत्र स्व0 हेसामुद्दीन निवासी ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (i) थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना पवई

किशोरी को बहला- फूसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित 03 गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

दिनांक 09.05.22 वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर शिकायत की विपक्षी 1.शेखर पासवान पुत्र रामसरन पासवान 2. अश्वनी पासवान पुत्र रामसरन पासवान निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लडकी को बहला फूसलाकर कही भगा ले गये है, के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 122/22 धारा 363/366 भादवि बनाम पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम मे बयान पीडिता व अन्य साक्ष्य संकलन आधार पर विनोद कुमार पुत्र श्री रामचरन पासवान व सुरेश पुत्र नन्दलाल निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 323,368,376डी भादवि व 5/6पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी । तमामी विवेचना व अन्य साक्ष्य संकलन से बयान वादी, बयान पीडिता व परिस्थिति जन साक्ष्यो से मुकदमा उपरोक्त से आरोपी 1.अश्वनी पासवान पुत्र रामसरन पासवान 2. विनोद कुमार पुत्र श्री रामचरन पासवान 3. सुरेश पुत्र नन्दलाल समस्त निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पायी गयी । विवेचना से व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में पूजा उर्फ नासरीन , आबिदा खातून उर्फ रीना गुप्ता पुत्री सिद्दीक व राजन उर्फ मुकीन पुत्र सिद्दीक निवासीगण बरही थाना झगहा जनपद गोरखपुर व किशन कन्नौजिया पुत्र प्रेमचन्द निवासी लहसडी थाना रामगढ जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश मे लाया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट को विलोपित करते हुए 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक- 29.08.22 को थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. पूजा उर्फ नासरीन 2. आबिदा उर्फ रीना गुप्ता पुत्री सिद्दीक 3. किशन कन्नौजिया पुत्र प्रेमचन्द निवासी लहसडी थाना रामगढ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायाल किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 122/22 धारा 363/366/368/120बी/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-पूजा उर्फ नासरीन पुत्री सिद्दीक,
- 2-आबिदा उर्फ रीना गुप्ता पुत्री सिद्दीक
- 3-किशन कन्नौजिया पुत्र प्रेमचन्द निवासी लहसडी थाना रामगढ जनपद गोरखपुर
- 4-बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे व उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराहियान थाना पवई आजमगढ़।